ज्ञापांक 1098/ के० आ० प० पटना अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना, दिनांक 15/10/15

सेवा में,

आई०टी० मैनेजर
पुलिस महानिदेशक कार्यालय,
बिहार, पटना।

प्रसंग:- राजपुर (बक्सर) थाना काण्ड सं०-79/10 दिनांक-25.06.10 धारा-302/307/353/332/436/34 भा.द.वि. एवं 25(1-बी)ए/26/27/35 आर्म्स एक्ट।

विषय:- वर्ष-2015 में राष्ट्रपति वीरता पदक मिलने से संबंधित विवरणी पुलिस बेवसाईट पर अपलोड करने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में कहना है कि बिहार पुलिस के वैसे पुलिसकर्मियों जिन्हें वर्ष-2015 में राष्ट्रपति वीरता पदक मिला है, के संबंध में विवरणी एवं संबंधित काण्ड की विवरणी बिहार पुलिस के बेवसाईट पर अपलोड करना है ताकि बिहार पुलिस के गौरवमय कार्य का प्रसार प्रचार हो सके।

वर्ष-2015 में राष्ट्रपति वीरता पदक अपराध अनुसंधान विभाग में पदस्थापित पु०अ०नि० मृत्युंजय कुमार सिंह को मिला है जो राजपुर थाना काण्ड सं०-79/10 से संबंधित है।

अतः अनुरोध है कि पु०अ०नि० मृत्युंजय कुमार सिंह का नाम पुलिस बेवसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

अनुलग्नक:-संबंधित कागजात।

15/10/15

पुलिस अधीक्षक (डी)
अपराध अनुसंधान विभाग,
बिहार, पटना।

सं.स. 32/15

संचिका सं0– 5/एम0–411/2011 गृ0 आ0
बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

कौशलेन्द्र पाठक
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय)
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय: राजपुर (बक्सर) थाना काण्ड सं0 79/2010 दिनांक 25.06.2010 से सम्बन्धित घटना में शामिल पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को वीरता पदक से अलंकृत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक गृह मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र सं0 11019/16/2015 दिनांक 14.08.2015 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि स्वतन्त्रता दिवस 2015 के अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति द्वारा निम्नांकित पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक से अलंकृत करने की स्वीकृति दी है :–

(1) श्री सुशील खोपड़े, पुलिस उप महानिरीक्षक
(2) श्री उपेन्द्र कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक
(3) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, अनु0 पुलिस पदा0
(4) श्री संजय कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक
(5) श्री मृत्युजय कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक

सूचनार्थ।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन

24/8/2015

सरकार के अपर सचिव

1293/XP
25/8/15

No.I-11019/16/2015-PMA
Government of India
Ministry of Home Affairs
(Grih Mantralaya)
Police Division-I

***

New Delhi-110 001 dated, the 14th August, 2015

The Secretary to the Governor of Bihar,
Raj Bhavan,
Patna

The Secretary to Government of Bihar,
Home Department,
Patna.

Subject: Award of Police Medal for Gallantry on the occasion of Independence Day-2015.

Sir,

I am directed to say that the President has approved the award of following medals on the occasion of Independence Day-2015:-

POLICE MEDAL FOR GALLANTRY

S/SHRI

01. SUSHIL KHOPDE
DY. INSPECTOR GENERAL

02. UPENDRA KUMAR SINHA
SUPERINTENDENT OF POLICE

03. ARVIND KUMAR GUPTA
SUB DIVISIONAL POLICE OFFICER

04. SANJAY KUMAR SINGH
DY. SUPERINTENDENT OF POLICE

(MRITYUNJAY KUMAR SINGH)
SUB INSPECTOR

2. An announcement to this effect will be made in the morning news papers on the 15th August, 2015 and the awards will be notified in the Gazette of India by President's Secretariat shortly.

Yours faithfully,

(Raman Kumar)
Under Secretary(PMA)
Ministry of Home Affairs

[illegible]ालय, बिहार, पटना।

श्री रविन्द्र कुमार, — सदस्य
पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय),
बिहार, पटना।

समिति के सदस्य श्री के० एस० द्विवेदी, पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), बिहार, पटना अपरिहार्य कारण से बैठक में भाग नहीं ले सके।

[illegible] [illegible] स्तरों से प्राप्त वीरता पदक के निम्नांकित मामलों पर अभिलेखों के आधार पर गहन समीक्षा की गयी [illegible] अनुशंसित पदाधिकारियों की व्यक्तिगत भूमिका पर विचार किया :–

घटना का विवरण	अनुशंसित पदाधिकारी एवं उनकी व्यक्तिगत भूमिका
[illegible] थाना कांड संख्या 79/10 [illegible] 25.06.2010 धारा 302/ [illegible] 353/333/332, 436/34 [illegible] 25(1–बी) (ए)/26 [illegible] आर्म्स एक्ट से संबंधित [illegible] अन्तर्गत घटित इस मुठभेड़ [illegible] में कुख्यात अपराधकर्मी [illegible] सहित 7 अपराधकर्मी [illegible] तथा [illegible] का एक जवान [illegible] हुआ था। विशेष कार्यबल का [illegible] जवान [illegible] कुमार सिंह गोली [illegible] हुआ। मुठभेड़ लगभग [illegible] चली। इस मुठभेड़ में [illegible] अपराधकर्मियों द्वारा करीब [illegible] गोली फायर किया गया, [illegible] कुल 1260 चक्र [illegible] एवं 2 [illegible] [illegible] [illegible] में वीरता प्रदर्शित [illegible] पुलिस पदाधिकारियों को [illegible] पदक से अलंकृत करने [illegible] प्रस्ताव पुलिस [illegible] प्राप्त [illegible] है। [illegible] के संबंध में अपराध [illegible] विभाग से [illegible] प्राप्त	1. श्री सुशील खोपडे, भा०पु०से०, पुलिस उप महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र, डेहरी ऑन सोन घटना स्थल पर पहुँचने के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र ने स्वयं कमान संभालते हुए दो आक्रामक दल गठित किया गया, जिसमें एक दल में उ०म०नि० के साथ श्री संजय कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक (ग्रामीण), भोजपुर, अ०नि० मृत्युंजय कुमार सिंह, विशेष कार्यबल, जवान एस०सी० 347 संतोष कुमार सिंह एवं ज०सी० 133 संजय कुमार सिंह को रखा गया। दूसरे दल में श्री उपेन्द्र कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक, बक्सर, अनुमंडल पुलिस पदा० बक्सर श्री अरविन्द कु० गुप्ता, एस०टी०एफ० जवान 281 बैजनाथ कुमार एवं श्री रघुनाथ सिंह, अवर निरीक्षक, थानाध्यक्ष राजपुर को रखा गया। एक आक्रमक दल ने उत्तर पूरब की तरफ से तथा दूसरे ने दक्षिण पश्चिम की तरफ से घेराबन्दी की। आत्मसमर्पण की चेतावनी देने के बावजूद अपराधियों द्वारा फायरिंग किया जाता रहा। इसी बीच अनु०पु०पदा० बक्सर के मोबाईल फोन पर स्वयं सुरेश [illegible] ने वरीय पदाधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण की बात कही। इस पर उ०म०नि० द्वारा तत्काल फायरिंग रोक दिया गया और [illegible] [illegible] की चेतावनी दी गयी। उ०म०नि० के निर्देश पर अनु०पु० पदा० बक्सर एवं पु०उपा० (ग्रामीण),भोजपुर आगे बढ़कर ऊँची आवाज में चेतावनी दी, [illegible] अपराधकर्मी हथियार सहित आत्मसमर्पण की मुद्रा में बाहर निकलकर वरीय पदाधिकारी तथा आक्रमक दल जो आत्मसमर्पण के इंतजार में काफी नजदीक पहुँच गये थे, पर लक्ष्य कर फायरिंग कर भागने का प्रयास करने लगा। इस अंतिम चरण की कार्रवाई में एस०टी०एफ० का जवान संजय कुमार सिंह के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में सुरेश राजभर सहित 7 अपराधकर्मी मारे गये।

[illegible] आराभक रूप से अपराध [illegible] विभाग का प्रतिवदन पत्रांक [illegible] दिनांक 13.11.10 को प्राप्त [illegible] कहा गया था कि [illegible] काण्ड के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयाग का परिवाद [illegible] गया है। अतएव परिवाद क [illegible] एवं काण्ड का अनुसंधान [illegible] तक अपक्षित बिन्दुओं पर [illegible] निर्णय लेना श्रेयस्कर नहीं है।

[illegible] अपराध अनुसंधान विभाग [illegible] क.आर. दिनांक [illegible] द्वारा प्रभारी सी0वी0 टीम [illegible] जाँच क हवाले से [illegible] किया है कि मुठभेड सही [illegible] साफ–सुथरा है। अपराध [illegible] विभाग के मानवाधिकार [illegible] में कोई जाँच लंबित नहीं है।

पुलिस मुख्यालय के मानवाधिकार [illegible] द्वारा इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रतिवेदन [illegible] गया है।

[illegible] काण्ड में सात अपराधियों [illegible] दिखाते हुए अंतिम प्रतिवेदन समर्पित किया गया है।

(२)

2. श्री उपेन्द्र कुमार सिन्हा, भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक, बक्सर

मुठभेड प्रारंभ होने के कुछ देर बाद ये अनु0पु0पदा0, [illegible] श्री निलम कुमार सिंह के साथ पहुँचे एवं तदोपरांत मुठभेड का नेतृत्व प्रदान किया। पुलिस उप महानिरीक्षक, शाहाबाद क्षेत्र घटना स्थल पर पहुँचने बाद उनके द्वारा गठित एक आक्रामक दल का इन्होंने नेतृत्व किया। इस दल में इनके अतिरिक्त अनुमंडल पुलिस पदा0 बक्सर श्री अरविन्द कु0 गुप्ता, एस0टी0एफ0 जवान 281 बैजनाथ कुमार एवं श्री रघुनाथ सिंह, अवर निरीक्षक, थानाध्यक्ष राजपुर थे।

3. श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, अनु0पु0पदा0, बक्सर

मुठभेड प्रारंभ होने के 15 मिनट बाद ये सशस्त्र बल के साथ घटना स्थल पर पहुँचे एवं पुलिस अधीक्षक बक्सर के पहुँचने तक नेतृत्व प्रदान किया। इनके नेतृत्व में अन्य घरों में भयवश छिपे ग्रामीणों को निकालना प्रारंभ किया गया, जो आधा घंटा तक जारी रहा। पुलिस अधीक्षक, बक्सर के नेतृत्व में गठित दूसरे आक्रामक दल के सदस्य थे।

4. श्री संजय कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, ग्रामीण, भोजपुर

उ0म0नि0, शाहाबाद क्षेत्र के साथ घटना स्थल पर पहुँचे तथा उ0म0नि0 के नेतृत्व में गठित प्रथम आक्रामक दल के सदस्य थे।

5. श्री मृत्युंजय कुमार सिंह, अवर निरीक्षक, विशेष कार्यबल

राज्य पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार ये 23 कमाण्डो दस्ता के साथ मुठभेड स्थल पर करीब 20.40 बजे पहुँचे थे। उ0म0नि0 के नेतृत्व में गठित प्रथम आक्रामक दल के सदस्य थे। इनके द्वारा 9 एम.एम. पिस्टल से 11 चक्र गोली चलाया गया।

6. श्री रघुनाथ सिंह, अवर निरीक्षक, थानाध्यक्ष राजपुर थाना, बक्सर

ये राजपुर थाना कांड संख्या 79/10 के वादी हैं। अपराधकर्मी सुरेश राजभर द्वारा गंभीर अपराध करने की सूचना प्राप्त होने पर इन्होंने वरीय पदाधिकारियों को सूचना दिया और सूचना के सत्यापन हेतु प0अ0नि0 जयप्रकाश सिंह, स0अ0नि0 इन्द्रजीत सिंह एवं संप के 9 जवानों तथा 4 होमगार्ड के साथ ग्राम लक्ष्मण पुर डेरा पहुँचकर गाँव के चारों तरफ घेरा डाले। जब ये लोग अपराधियों के छिपने के मकान की तरफ सटने लगे तो खपरैल मकान में बने सुराग से फायरिंग आनेलगी। इस फायरिंग में संप जवान को गोली लगी। जख्मी सैप जवान को हटाने का प्रयास करने पर अपराधियों द्वारा लगातार गोली चलायी जानेलगी। जब तक वरीय पदाधिकारी घटना स्थल पर नहीं पहुँचे तब तक इनके नेतृत्व में संयमित एवं संतुलित ढंग से मुठभेड जारी रहा। पुलिस अधीक्षक, बक्सर के नेतृत्व में गठित दूसरे आक्रामक दल के सदस्य थे। इन्होंने वरीय पदाधिकारियों के पहुँचने तक अपराधकर्मियों को संयमित फायरिंग करते हुए रोक रखा। इनके द्वारा पिस्टल से 4 चक्र गोली चलायी गयी।

7. सि0कमाण्डो 347 संतोष कुमार सिंह, विशेष कार्यबल

उ0म0नि0 के नेतृत्व में गठित प्रथम आक्रामक दल के सदस्य थे। इन्होंने ए.के. 47 से 20 चक्र गोली चलाया।

8 जू0कमाण्डो संजय कुमार सिंह, विशेष कार्यबल

उ0म0नि0 के नेतृत्व में गठित प्रथम आक्रामक दल के सदस्य थे। इन्होंने ए.के. 47 से 54 चक्र गोली चलाया।

9. जू0कमाण्डो बैजनाथ कुमार, विशेष कार्यबल

पुलिस अधीक्षक, बक्सर के नेतृत्व में गठित दूसरे आक्रामक दल के सदस्य थे। इनके द्वारा ए0के0 47 से 38 चक्र गोली चलाया गया।

[illegible] उपरोक्त मामले में क्षेत्रीय स्तर से अनुशंसित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को [illegible] वीरता पदक हेतु अनुशंसा के योग्य पाया।

Naveli